

स0 स0 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक ...

विषय— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मदीप कुमार पिता— लालबाबू राय ग्राम— रामबहादुर राय ग्राम+पो0— उसरी थाना— के अस्थान जिला— दरभंगा यूएचआईडी नं0— 107378206	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
			5,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,00,000/— (पाँच लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196728.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10874588593, खाता धारक का नाम— AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार— चालु, बैंक का नाम—एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं0—SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1776 (14)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196828... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/6/25
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 /एम 11-01/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	इन्दु देवी पति- बिपिन बिहारी तिवारी ग्राम- चकिया पो०+थाना- कुदरा जिला- कैमूर भभुआ यूएचआईडी नं०- 108084098	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	अनीता सिन्हा पति- सजीव कुमार ग्राम- डी म कॉलोनी पटेल नगर बिहार शरीफ पो०- बिहार शरीफ थाना- लहेरी जिला- नालंदा यूएचआईडी नं०- 108217455	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	जीतेन्द्र कुमार द्विवेदी पिता- स्व जनार्दन दुबे ग्राम- धोबी घाट गली नं०- 6 विश्वामित्र कॉलोनी थाना- मोडल पो०+जिला- बक्सर यूएचआईडी नं०- 107176621	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			3,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196928 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-CA

10874584292, खाता धारक का नाम— DR. BRAIRCH PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार— चालु, बैंक का नाम—एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड स0—SBIN 0001536 मे अतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / -

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक, प्रमुख

ज्ञापाक

1777(14)

पटना, दिनांक

24/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 176928 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



स० स० 14 / एम 11-1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

Medanta Hospital,

Sector-A, Pocket 1,

Shushant Golf City, Amar Shaheed Path,

Lucknow - 226030

पटना, दिनांक.

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में।
1	2	3	4	5
1	सुमित्रा देवी पति- ध्रुव प्रसाद ग्राम- मठिया हरदो पो०- नेचुआ जलालपुर थाना- कुचायकोट जिला- गोपालगंज	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रू० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196748 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 41120248418, खाता धारक का नाम- Global Health Limited, खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम-, RTGS/IFSC कोड सं०- SBIN0004298 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

१

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1779(14)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 176928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
राय बरेली रोड, लखनऊ,-226014

पटना, दिनांक. ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सबिता देवी पति— नारद यादव ग्राम— महारानी उग्रसेन पो0— महारानी थाना— महम्मदपुर जिला— गोपालगंज सीआर नं0— 2025115078	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	मंजीत कुमार पिता— भदई राम ग्राम— अजबीनगर पो0— डुमरा थाना— महम्मदपुर जिला— गोपालगंज सीआर नं0— 2025165671	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	बिनीता कुमारी पिता— उमेश साह ग्राम— महम्मदपुर पो0— टेकनवास थाना— महम्मदपुर जिला— गोपालगंज सीआर नं0— 2021822420	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	अनिल कुमार यादव पिता— राम निवास यादव ग्राम— इसरी पो0— छवडी थाना— रामगढ जिला— कैमूर भभुआ सीआर नं0— 2025424075	ब्रेन ट्यूमर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	निरजन राम पिता- सहदेव राम ग्राम- बेदौली पो0- जमुनिया थाना- सहोदरा जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 2024581958	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।
6	रमेश यादव पिता- राधाकिशुन चौधरी ग्राम- राजापुर पो0+थाना- कटेया जिला- गोपालगज सीआर न0- 2025300057	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	जोगिन्दर सिंह पिता- विन्देश्वरी सिंह ग्राम+पो0- कर्मा लहँग थाना- टडवा जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 2025203821	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	कामता कुमारी पिता- रामबिनोद चौधरी ग्राम- खतुआहा पो0- खैरी थाना- खानपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 2025323923	अप्लास्टिक एनिमिया	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
9	अली अकबर अंसारी पिता- नसरुल्लाह अंसारी ग्राम- पिपरहिया पो0- नेउरी थाना- बरौली जिला- गोपालगज सीआर न0- 2025165980	Pancertico Duodnectomy	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
10	राहुल कुमार उपाध्याय पिता- उमेश उपाध्याय ग्राम- अटवा दुर्ग पो0- बरीरायभान थाना- हथुआ जिला- गोपालगज सीआर न0- 20221045091	Cervical Lymphadenopa thy	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
11	अनिकेत कुमार पिता- रणजीत कुमार ग्राम- चक हैबत उर्फ फुलवरिया पो0+थाना- मीनापुर जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 2025321331	Neuro Heptic Wilson रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

12	कृष्णमोहन कुमार पिता— बिनोद राम ग्राम— सूअरछाप पो0— ब्रिटिमटियारिया थाना— लौरिया जिला— पश्चिम चम्पारण सीआर नं0— 2025420833	IBD- UC	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
13	निष्ठा कुमारी सिंह पिता— उज्जवल कुमार सिंह ग्राम— कैथवलिया पो0— साखे खास थाना— उचक्का गॉव जिला— गोपालगज सीआर न0— 2017534413	थालेसेमियाँ मेजर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
14	सुशात कुमार राम पिता— रंजीत कुमार राम ग्राम— पाण्डेयपुर पो0— गोपालपुर थाना— हुसैनगज जिला— सिवान सीआर न0— 2025414883	Pontine Glsoma	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
15	मो0 परवेज अली पिता— मो0 नवाब जादा ग्राम+पो0— अरंडा थाना— एम एच नगर जिला— सिवान सीआर नं0— 2025483540	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	पार्वती देवी पति— रामविलास लाल ग्राम— अलीनेउरा पो0— दाऊद छपरा थाना— मीनापुर जिला— मुजफ्फरपुर सीआर न0— 20221012552	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
17	युवराज सिंह पिता— धनंजय कुमार सिंह ग्राम+पो0+थाना— अकोढीगोला जिला— रोहतास सीआर न0— 2024352948	ट्यूमर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	सत्य नारायण गुप्ता पिता— शिव नारायण साह ग्राम+पो0— गगौली थाना— डेहरी जिला— रोहतास सीआर न0— 2018750915	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

19	ज्योति कुमारी पति- राहुल कुमार ग्राम- दौलतपुर नगौली पो- मलहारा थाना- हसपुरा जिला- औरंगाबाद सीआर न- 2025071607	मेजर वास्कुलर सर्जरी	2,00,000	दो लाख स्वीकृत।
			18,70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 18,70,000/- (अठारह लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 196928 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं 10095237548 खाता धारक का नाम- "निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड सं SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

ज्ञापाक 1780(14)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं 196928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
सर सुन्दर लाल अस्पताल,
इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस
वाराणसी -221005

पटना, दिनांक .

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 18.06.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	सिधु देवी पति- उदय नाथ तिवारी ग्राम- बीरभानपुर पो0- बारे थाना- भभुआ जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 7284831	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	नितेश कुमार सिंह पिता- कन्हैया सिंह ग्राम- बहुआरा पो0- मैधरा थाना- सूर्यपुरा जिला- रोहतास एमआरडी न0- 7443733	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	रानी देवी पति- बिनोद पाण्डेय ग्राम- चिरैली पो0- बेलाई थाना- नबीनगर जिला- औरंगाबाद एमआरडी न0- 4352679	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	मीरा पांडेय पति- अरविन्द पांडेय ग्राम- चिरैली पो0- बेलाई थाना- नबीनगर जिला- औरंगाबाद एमआरडी न0- 7443278	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 4,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,00,000/- (चार लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196928 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 27790100039150 खाता धारक का नाम— **Other-Patient Relief Fund BHU**, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— **Bank of Baroda**, शाखा का नाम— **BHU, Varanasi**, RTGS/IFSC कोड सं0 BARB0BHUVAR में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- 5 चिकित्सा **AIIMS** के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

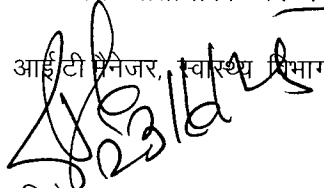
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1781 (14)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 196928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आईटी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

होमी भाभा कैंसर अस्पताल

घंटी मिल रोड, लहरतारा,

ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा

वाराणसी 221002

पटना, दिनांक .

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजवश सिंह पिता- झेगटु सिंह ग्राम- रोहुआ पो०+थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न०- 18एफ2025/005667	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	रामा कान्त सिंह पिता- राम सिगासन सिंह ग्राम- तपोवन पो०- करम्हरी थाना- कुछीला जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल नं०- 18एफ2024/018275	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	मास्टर सूरज कुमार पिता- दिनेश बैठा ग्राम- महामदवा पो०- बेहरा थाना- सिकटा जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न०- 16एफ2025/000990	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

4	रिक्कू देवी पति- उपेद्र मडल ग्राम- रामटोलबालुपर पो0- दामोदरपुर थाना+जिला- लखीसराय केस फाईल न0- 16एफ2024/002497	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	मास्टर शिवम कुमार यादव पिता- लालबाबू यादव ग्राम- जोकहरी पो0- महुलीघाट थाना- कृष्णागढ जिला- भोजपुर केस फाईल न0- 16एफ2025/000897	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
6	मास्टर आदील खान पिता- मोहम्मद अफजल खा ग्राम+पो0- सिरसी थाना- चैनपुर जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0- 16एफ2025/001075	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	सूर्यदेव भगत पिता- स्व0 भगल भगत ग्राम- चतर पो0- मालवण थाना- खुदावा जिला- औरंगाबाद केस फाईल न0- सीएस/27460	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	आरती देवी पति- अरविन्द कुमार गुप्ता ग्राम+पो0+थाना- दरिहट जिला- रोहतास केस फाईल न0- केई/10099	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	सुरेश शर्मा पिता- रामधनी शर्मा ग्राम- मिश्रा टोला लौरिया पो0+थाना- लौरिया जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0- 18एफ2024/021685	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	अलका सिंह पिता- हरिकांत ग्राम- सलेमपुर पो0- जारु बनवरिया थाना- हुलासगज जिला- जहानाबाद केस फाईल न0- सीआर/32818	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

11	शीला देवी पति- सतोष कुमार महतो ग्राम- जगतसिंहपुर पो0- रानीटोला थाना- मुफ्फसिल जिला- समस्तीपुर केस फाईल न0- 18एफ2025/006106	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	कामनी देवी पति- श्री राम ग्राम+पो0- गोडारी थाना- काराकाट जिला- रोहतास केस फाईल न0- 18एफ2024/014793	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	हजारी प्रसाद सिंह पिता- स्व0 सूर्यनाथ सिंह ग्राम+पो0- समहुता थाना- कच्छवा जिला- रोहतास केस फाईल न0- 18एफ2024/014237	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	मास्टर मो0 खुर्शीद पिता- मो0 इम्तियाज ग्राम- बसहा पो0- बडहरा थाना- बाबूबरही जिला- मधुबनी केस फाईल न0- 19एफ2025/002128	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	राजेद्र शर्मा पिता- भगवान ठाकुर ग्राम- उपाध्याय बिगहा पो0+थाना- बोधगया जिला- गया जी केस फाईल नं0- 11एफ2025/011314	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	सत्येंद्र सिंह पिता- राजदेव सिंह ग्राम- मसूदा पो0- सकरी खुर्द थाना- मेहन्दिया जिला- अरवल केस फाईल न0- 11एफ2024/030612	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	वरुण मडल पिता- स्व0 भूदेव मडल ग्राम+पो0- बिशनपुर जिच्छो थाना- लोदीपुर जिला- भागलपुर केस फाईल न0- 16एफ2024/001656	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

18	बिरेन्द्र सिंह पिता— स्व० परसन सिंह ग्राम— जलालपुर पो०— नेचुआ जलालपुर थाना— कुचायकोट जिला— गोपालगंज केस फाईल न०— 18एफ2024/012711	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
19	बचन सिंह पिता— शिव मुन्नी सिंह ग्राम— पुरुषोत्तमपुर पो०— उनवास थाना— ईटाढी जिला— बक्सर केस फाईल न०— केसी/62600	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
20	अनवरो बेगम पति— मनुवर राय ग्राम+पो०— रायपुर चोर थाना— शिवसागर जिला— रोहतास केस फाईल न०— 18एफ2024/009755	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
21	सजय कुमार मडल पिता— देवकी मडल ग्राम— पडिया पो०+थाना— बरियारपुर जिला— मुगेर केस फाईल न०— 18एफ2025/008509	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
22	जलेश्वर सिंह पिता— स्व० विश्वनाथ सिंह ग्राम— सेलार कला पो०— लाइन बाजार थाना— फुलवरिया जिला— गोपालगंज केस फाईल न०— 18एफ2025/007781	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
23	बिरेन्द्र बहादुर राय पिता— देवनारायण सिंह ग्राम— खजुरा पो०— कर्मनाशा थाना— दुर्गावती जिला— कैमूर भभुआ केस फाईल न०— 18एफ2025/00280	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
24	सतोष सिंह पिता— कामेश्वर सिंह ग्राम+पो०— कल्याणपुर थाना— दुर्गावती जिला— कैमूर भभुआ केस फाईल न०— 18एफ2025/008803	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

25	सुधा देवी पति- स्व० रामविलास यादव ग्राम- यादव सेवा सदन रोड लाल दरवाजा पो०- मुगेर थाना- कोतवाली जिला- मुगेर केस फाईल न०- 18एफ2025 / 000060	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
26	रेखा कुमारी पति- राजकुमार सिंह ग्राम- सचई पो०+थाना- कुर्था जिला- अरवल केस फाईल न०- 11एफ2024 / 036994	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
27	राजेश प्रसाद पिता- विध्याचल साह ग्राम- गाधीनगर पो०+थाना- बगहा जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न०- 18एफ2024 / 011685	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	कान्ति सिंह पति- बलिराम सिंह ग्राम+पो०- मेहुरा थाना- बगहा जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न०- 18एफ2025 / 009763	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
			26,90,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 26,90,000/- (छब्बीस लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196928 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 3675632747 खाता धारक का नाम- होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, वाराणसी, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- Tata Memorial Cancer (TMC) Hospital, Varanasi, RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0285166 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1782(14)

पटना, दिनांक- 24/6/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



स० स० 14 / एम 11-1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

Care Hospital Care Treatment Centre (P) Ltd.,

Bhikharipur, B.L.W., Sunderpur Road,

Varanasi - 221004

पटना, दिनांक

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में।
1	2	3	4	5
1	कुसूम देवी पति- राम दुलार सिंह ग्राम- भटौली पो०- सियावाक थाना- बघैला जिला- रोहतास	PTBD	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			65,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 65,000/- (पैंसठ हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196928 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 21040638381, खाता धारक का नाम- Care Treatment Center Pvt Ltd., खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- INDIAN BANK, शाखा का नाम-Bhikharipur, Varanasi, RTGS/IFSC कोड सं० IDIB000B874 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

f

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

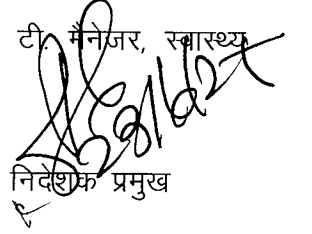
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1783 (14)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196728 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक . . .

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० जसीम असारी पिता- मो० सादिक असारी ग्राम- नीमा पो०- हथियार थाना- बोधगया जिला- गया जी केस फाईल न०- 11एफ2024 / 006313	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	कमल किशोर शर्मा पिता- स्व० भगवत शर्मा ग्राम- हरपुरा पो०- महमदपुर थाना- बिक्रम जिला- पटना केस फाईल न०- 11एफ2025 / 009789	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	मास्टर उत्तम कुमार पिता- पिकू बैठा ग्राम- हरपुर बलरा पो०- बलरा इस्माइल थाना- मनियारी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 11एफ2025 / 008493	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	विमला देवी पति-सुनील कुमार दुबे ग्राम-न्यु भिखाचक अनीसाबाद वार्ड 13 पो०-अनीसाबाद थाना-गर्दनीबाग जिला-पटना केसफाइलन०-11एफ2024 / 029850	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	निर्मला देवी पति- स्व० सुधीर प्रसाद यादव ग्राम- पुरानी सराय पो०+थाना- नाथनगर जिला- भागलपुर केस फाईल न०- 11एफ2023/021598	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			4,10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,10,000/- (चार लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान /अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196928 ...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1002449683 खाता धारक का नाम- टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- टी०एम०एच०, RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1784(14)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0 14 /एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज
आई०डी०ए०, स्कूडर रोड
पी० बी० न०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1		3	4	5
1	ज्योति कुमारी पति- विनय कुमार ग्राम+पो०- बगपुर थाना- परवलपुर जिला- नालंदा सीएमसी न०- एआई 96391	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	विवेक कुमार पिता- सूबेदार प्रसाद ग्राम- गोगौरा पो०- चुरामनपुर थाना- औधोगिक जिला- बक्सर सीएमसी न०- एडी 91321	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
3	हरिहर प्रसाद यादव पिता- बासुदेव प्रसाद यादव ग्राम- जटौलिया पो०- टोला मुजा थाना- बरुराज जिला- मुजफ्फरपुर सीएमसी न०- एआई 06190	कैंसर / ट्यूमर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	बिन्दु देवी पति- मणि शंकर कुमार ग्राम+पो०- लालबिगहा थाना- काशीचक जिला- नवादा सीएमसी न०- एडी 47506	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	दुलारी देवी पति- शकर पासवान ग्राम+पो0- कटारी थाना- कोरमा जिला- शेखपुरा सीएमसी नं0- एडी 90340	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत
6	विनोद कुमार पिता- नागेश्वर प्रसाद ग्राम- बिहिया रोड अशोक सिनेमा हॉल के पीछे पो0+थाना- पिरो जिला- भोजपुर सीएमसी नं0- एएफ 05502	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
7	मो0 गुलाममूर्तजा सिद्दीकी पिता- बदरुद्दीन अहमद ग्राम- रामराज नगर कर्मा रोड पो0- औरंगाबाद थाना- मुफ्फशील जिला- औरंगाबाद सीएमसी नं0- 010547 एच	हृदय रोग सीएबीजी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
8	लगनदेव यादव पिता- हरिशंकर यादव ग्राम- पदमिनिया पो0- महुलीघाट थाना- कृष्णागढ जिला- भोजपुर सीएमसी नं0- एआई 96724	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
9	सतोष कुमार पिता- प्रयाग मडल ग्राम- मटिहाना पो0- पैरामटिहाना थाना- सोनो जिला- जमुई सीएमसी नं0- एजे 26110	ब्रेन ट्यूमर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	रेहान आलम पिता- अफरोज आलम ग्राम- आमिर खान टोला पो0+थाना- सुगौली जिला- पूर्वी चम्पारण सीएमसी नं0- एए 03413	ब्रेन ट्यूमर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	इंदु देवी पति- राम मोहन मिश्रा ग्राम+पो0- बटसार थाना- धोरैया जिला- बाका सीएमसी नं0- एएच 51562	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			16,85,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 16,85,000/- (सोलह लाख पचासी हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0-

- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176928... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36889551846, खाता धारक का नाम- C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस0बी0आई0, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता ।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा ।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए ।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय । अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय । मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है । प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय । बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है । उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय ।
6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय ।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय ।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

1785(14)

पटना, दिनांक

24/6/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 176928...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को करा दिया जाय ।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक प्रमुख